

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :- जिला कलेक्टर पाली

अपीलांट:-

बनाम

रेस्पोंडेन्ट :-

श्री करणसिंह राणावत, उप सरपंच, ग्रा. प.
साण्डेराव, प.स. सुमेरपुर

लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलेक्टर) पाली

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 05/2019

R.C.M.S. No. -2019/00073

अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24/4/19	<p>अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलेक्टर, पाली) द्वारा न्यायालय अति. जिला कलेक्टर, पाली की पंचायत निगरानी संख्या 63/2007 से लगातार 90/2007 बअनवान इन्द्रसिंह बनाम ग्राम पंचायत साण्डेराव के निर्णय की प्रतियां उपलब्ध नहीं करवाए जाने से इस न्यायालय में पेश की है, जो दर्ज रजिस्टर हों। अपीलांट व रेस्पोंडेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 3/5/19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलेक्टर, पाली</p>	507-68 25/4/19
3/5/19	<p>लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलेक्टर) पाली ने जरिये पत्रांक-रा. लो. सू. अं. 65/988 डि 30-4-19 के अन्तर्गत कराया है कि अपीलांट की कोषित सूचना उनके समक्ष पत्रांक-2018/287 डि 18/4/2019 के निजवाही गई है वतमान में सूचना उपलब्ध कराना दोष नहीं है अपील अपीलार्थ प्रभावहीन होने से अपील निरस्त की जाती है, अपील अपीलार्थ केसल शुमार होकर नम्बर से कम है।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलेक्टर, पाली</p>	